पर्चा डिक्री

# ालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

**पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान**

 सं0 : 38/2023

 : भीमसिंह पुत्र थानाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:— वादी

बनाम

1. थानाराम पुत्र बीरबल उर्फ बीरूराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. कलावती
3. सुनिता
4. कविता
5. लिछमा
6. विमला

(2–6) } पिसरान थानाराम जाति जाट निवासीगण रासलाना तहसील भादरा

7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिए शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टेण्ड भादरा तहसील भादरा।
8. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
10. बिदो पत्नी थानाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नील बैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विजेन्द्र सिंह बैनिवाल की उपस्थिति में निर्णय हेतु स्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है था घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 99/89 के खसरा सं0 306 ी 6.2090 है0, खसरा सं0 592/459 की 6.3340 है0 कुल खसरा 2 की 12.5430 है0 ादभूमि प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के नाम थावत रखी जाती है तथा ग्राम रासलाना के खाता सं0 98/88 के खसरा सं0 307 की 3.3390 है0, ख0सं0 317 की 3.6300 है0, खसरा सं0 388 की 0.6950 है0 कुल खसरा 3 की 7.6640 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के नाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 थानाराम का नाम कलमजन कर वादी भीमसिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। चूंकि रासलाना के खाता सं0 98/88 की वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 6, 10 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर [illegible] किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:30 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान)R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

संं0 : 38/2023

भीमसिंह पुत्र थानाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. थानाराम पुत्र बीरबल उर्फ बीरूराम पुत्र बस्तीराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
2. कलावती
3. सुनिता
4. कविता
5. लिछमा
6. विमला

(2 से 6) पिसरान थानाराम जाति जाट निवासीगण रासलाना तहसील भादरा

7. भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टेण्ड भादरा जरिए शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक शाखा बस स्टेण्ड भादरा तहसील भादरा।
8. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा जरिए शाखा प्रबंधक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा भादरा तहसील भादरा।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) भादरा।
10. बिदो पत्नी थानाराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।

:- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत : इस्तकरार हक**

**अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955**

**उपस्थिति :** वकील श्री सुनील बैनीवाल : **वादी**

वकील श्री विजेन्द्र सिंह बैनीवाल : **प्रतिवादी सं0 1 ता 6,10**

**निर्णय** **दिनांक :** 06.05.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 98/88 खसरा सं0 307 की 3.3390 है0, ख0सं0 317 की 3.6300 है0, खसरा सं0 388 की 0.6950 है0 ... खसरा 3 की 7.6640 है0 तथा रोही मौजा रासलाना के ही खाता सं0 99/89 के खसरा सं0 ... की 6.2090 है0, खसरा सं0 592/459 की 6.3340 है0 कुल खसरा 2 की 12.5430 है0 वादभूमि ...वादी सं0 1 थानाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पिता बीरबल उर्फ बीरूराम व दादा बस्तीराम वल्द ...दाराम से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते ...। वादभूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार ...हित है। वादी ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी हकों की घोषणा कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 6, 10 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 ... हाजिर नहीं आया जिनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 ... जबावदावा पेश किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा ... कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:17:30 IST
Reason: SelfAttested

साक्ष्य वादी में भीमसिंह पुत्र थानाराम जाति जाट निवा... रासलाना तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी ग्राम रासलाना संवत 2075-78 खाता संख्या 98/88 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही मौजा रासलाना खाता सं0 99/89 सम्वत 2075-78 प्रदर्श 2, सदस्य प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रासलाना प्रदर्श 3, नाम बाबत प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत रासलाना प्रदर्श 4, पैतृक जमाबंदी रासलाना सम्वत 2019 प्रदर्श 5, मतदाता सूची सन 1980 भाग सं0 90 ग्राम

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा



Scanned with CamScanner

...ता प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये। बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद ...थ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें ...एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम राजस्व ...ड में दर्ज होने पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार ...बिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने ...निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत ...वेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने ग्राम रासलाना के ...व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश ...है। वादी ने दावा की पुष्टि में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 6 ...र्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 99/89 के खसरा सं0 306 की 6. ...0 है0, खसरा सं0 592/459 की 6.3340 है0 कुल खसरा 2 की 12.5430 है0 वादभूमि प्रतिवादी ... 1 थानाराम के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के नाम यथावत रखी जावे तथा ग्राम ...लाना के खाता सं0 98/88 के खसरा सं0 307 की 3.3390 है0, ख0सं0 317 की 3.6300 है0, ...सरा सं0 388 की 0.6950 है0 कुल खसरा 3 की 7.6640 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के ... दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 थानाराम का नाम कलमजन कर वादी भीमसिंह को खातेदार ...षेत किया जावे। चूंकि रासलाना के खाता सं0 98/88 की वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 6, 10 ...अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक ...जीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

## क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा ...षणा की जाती है कि रोही मौजा रासलाना के खाता सं0 99/89 के खसरा सं0 306 की 6.2090 ...0, खसरा सं0 592/459 की 6.3340 है0 कुल खसरा 2 की 12.5430 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 ...ानाराम के नाम दर्ज है जो प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के नाम यथावत रखी जाती है तथा ग्राम ...ासलाना के खाता सं0 98/88 के खसरा सं0 307 की 3.3390 है0, ख0सं0 317 की 3.6300 है0, ...ख़सरा सं0 388 की 0.6950 है0 कुल खसरा 3 की 7.6640 है0 वादभूमि प्रतिवादी सं0 1 थानाराम के ...ाम दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 थानाराम का नाम कलमजन कर वादी भीमसिंह को खातेदार ...घोषित किया जाता है। चूंकि रासलाना के खाता सं0 98/88 की वादभूमि में प्रतिवादी सं0 1 ता 6, ...10 ने अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहनमुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदारमद किया जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.21 को लिखाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.06.17 14:16:30 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
...ादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamSca...